न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 242 सन 2018

अनवान :–

1. जागेराम पुत्र फुसाराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।

1/1. पिथाराम पुत्र जागेराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर

1/2. रायसिह पुत्र जागेराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर

1/3. शिशुपाल पुत्र जागेराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर

1/4 मैसर पुत्री जागेराम जाति जाट साकिन बडबिराना हाल परलका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

1/5 बिमला पुत्री जागेराम जाति जाट साकिन बडबिराना हाल सुरेरा तहसील ऐजनाबाद सिरसा

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री आन्नद कुमार अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 18/06/2024

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा बडबिराना के हाल खसरा संख्या 398/2 की कुल 0.4980हैक्‍ भूमि वादी के पुराने कब्जा काश्त की भूमि है जो पहले वादी के पिता फुसाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वाद भूमि वादी के पूर्वजो के सम्वत 2012 से पूर्व की कब्जा काश्त की भूमि है जो वर्तमान में वादी के नाम बतौर गैरखातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादग्रस्त भूमि पूर्व में साबिका खसरा न0 269 की 20.00 बीघा राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जो वादी के पिता फुसाराम के कब्जा काश्त में थी जिसमें से वाद भूमि के अलावा अन्य भूमि के खातेदारी अधिकार वादी को दिये जा चुके है केवल वाद भूमि हाल खसरा न0 398/2 की 0.4980हैक्‍ भूमि वादी के नाम गैरखातेदारी दर्ज कर दी जबकि वादी वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है इसलिये वाद वाद भूमि को अपने नाम बतोर खातेदार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में जोगाराम दर्ज कर दिया है जबकि वादी का सही नाम जागेराम पुत्र फुसाराम है वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में जोगाराम के स्थान पर जागेराम पुत्र. फुसाराम संशोधन करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी को कई मर्तबा कहा की वादी वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है इसलिये उसे राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तो इन्कार हो गये इसलिये वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी को रोही मोजा बडबिराना के खसरा संख्या 398/2 की 0.4800हैक्‍ भूमि का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी सं[illegible] और परोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की वादी सम्वत 2012 [illegible] साबित करे एवं रोही मोजा बडबिराना की भूमि वर्तमान में उपनिवेशन [illegible] आती है वादी वाद[illegible] के निशुल्क खातेदारी अधिकार प्राप्त नही कर सकता एवं [illegible]हकों को सुरक्षित [illegible]ए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:57:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा बडबिराना के हाल खसरा संख्या 398/2 की कुल 0.4980हैक्ट भूमि वादी के पुराने कब्जा काश्त की भूमि है जो पहले वादी के पिता फुसाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वाद भूमि वादी के पूर्वजो के सम्वत 2012 से पूर्व की कब्जा काश्त की भूमि है जो वर्तमान में वादी के नाम बतौर गैरखातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादग्रस्त भूमि पूर्व में साबिका खसरा न0 269 की 20.00 बीधा राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जो वादी के पिता फुसाराम के कब्जा काश्त में थी जिसमें से वाद भूमि के अलावा अन्य भूमि के खातेदारी अधिकार वादी को दिये जा चुके है केवल वाद भूमि हाल खसरा न0 398/2 की 0.4980हैक्ट भूमि वादी के नाम गैरखातेदारी दर्ज कर दी जबकि वादी वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है इसलिये वाद वाद भूमि को अपने नाम बतोर खातेदार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में जोगाराम दर्ज कर दिया है जबकि वादी का सही नाम जागेराम पुत्र फुसाराम है वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में जोगाराम के स्थान पर जागेराम पुत्र. फुसाराम संशोधन करवा पाने का अधिकारी है।

वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वादी को रोही मोजा बडबिराना के खसरा संख्या 398/2 की 0.4800हैक्ट भूमि का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावे. वादी का वाद डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया क़ी वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो वादी अपना वाद साबित करे एवं रोही मौजा बडबिराना वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है इसलिये वादी निशुल्क खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी नही है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 409/384 के हाल खसरा न0 398/2 की 0.4800हैक्ट भूमि जागेराम पुत्र फुसाराम के नाम से गैरखातेदार के रूप में दर्ज है।

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 03.09.1983 के द्वारा रोही मौजा बडबिराना के हाल खसरा संख्या 398 की 1.18 बीधा भूमि जागेराम पुत्र फुसाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश की अनुपालना में जागेराम पुत्र फुसाराम के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज की गई थी।

उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 03.09.1983 के अनुसार जागेराम पुत्र फुसाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के बाद रोही मौजा बडबिराना के खसरा न0 398 जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खसरा न0 398/2 की 0.4800 हैक्ट के रूप में दर्ज है पर लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है जो वादीगण के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दीयों /गिरदावरीयो से साबित है तथा पेरोकार राज ने भी वादीगण के कब्जा काश्त के सम्बध में किसीप्रकार का विरोध पेश नही किया गया है।

इसप्रकार प्रकार वाद भूमि रोही मौजा बडबिराना के खसरा संख्या 398 की 1.18 बीधा भूमि उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेशानुसार जागेराम पुत्र फुसाराम के नाम दर्ज की गई थी वर्तमान में रोही मौजा बडबिराना के खसरा संख्या 398/2 की 0.4800हैक्ट के रूप में बतौर गैरखातेदार जागेराम पुत्र फुसाराम के नाम से दर्ज है तथा जागेराम पुत्र फुसाराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादीगण संख्या 1/1 से 1/5 है जो जागेराम के नाम से दर्ज भूमि को अप[illegible] अधिकारी है वाद भूमि उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 03.09.198[illegible] की [illegible]पालना में दर्ज होने के बाद पूर्व में जागेराम पुत्र फुसाराम एवं ज[illegible] होने पर उनके वारिसान वादीगण संख्या 1/1 से 1/5 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयो/गिरदावरीयो से साबित है तथा कब्जा काश्त एवं जागेराम के वारिसान के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:57:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था जिसकी धारा 15 मे प्रावधान किया गया था कि जो काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय जो भूमि काश्त करता था वह उस भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है अर्थात सम्वत 2012 की जमाबन्दी/गिरदावरीयों में जो भूमि जिसके कब्जा काश्त में थी वह उस भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है/राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 15 के प्रावधान के ताबें वादी का पिता जागेराम वल्द फुसाराम जो सम्वत 2012 की जमाबन्दी/गिरदावरी में बतौर काश्तकार दर्ज होने के कारण खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये था यदि पूर्व में राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज नही किये जाने से जागेराम वल्द फुसाराम के खातेदारी अधिकार समाप्त नही होते है बल्की वह आज भी उक्त अधिनियम के ताबे बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश दिनांक 03.09.1983 की पालना में जागेराम पुत्र फुसाराम के नाम दर्ज की गई थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज है वाद भूमि लगातार पूर्व में जागेराम पुत्र फुसाराम एवं जागेराम के देहान्त होने पर उसके वारिसान वादीगण संख्या 1/1 से 1/5 के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादीगण के भूमि लगातार कब्जा काश्त में होने एव किसी प्रकार का स्थगन आदेश नही होने की स्थिति में वादीगण को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये था।

पेराकार राज का कथन है कि वाद भूमि उपनिवेशन अधिनियम में आने के कारण किमतन खातेदारी अधिकारी दिये जा सकते हे राज्यहकों को सुरक्षित रखने हेतु पेरोकार राज का कथन से सहमत है एवं वादी भी वाद भूमि की किमत अदा करने को तेयार है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत आती थी परन्तु बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी उस भूमि के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1970 के नियमो के तहत आवंटित थी उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व बीपीएल परिवारो से इस परियोजना से इस परियोजना क्षेत्र में निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

(4) Not with Standing anything contained in these rules the price of land persons to whom loan allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land foe Agriculture Purposes) Rules 1970 prior it declaration of colony area shall be 10% of the fixed under sub rule (1) in case of members of Scheduled castes scheduled tribes other backward classes and below poverty line families and 20% of the [rice fixed under sub rule (1) un case of others the price so fixed shall be payable in one instalment

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:57:38 IST
Reason: SelfAttested

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में किया जाता है एवं बाद में खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात/साक्ष्य /सबुतो के आधार पर वादीगण के पूर्वज जागेराम पुत्र फुसाराम श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज किया गया था एव जागेराम पुत्र फुसाराम के देहान्त होने पर उसके वारिसान वादीगण संख्या 1/1 से 1/5 वाद भूमि रोही मोजा बडबिराना के खाता संख्या 398 की 0.4800हैक जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र (भाखडा परियोजना क्षेत्र) में आने के कारण राज्यहको के मध्यनजर किमतन खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी है जिसके सम्बध में वादी ने किसी प्रकार का ऐतराज जाहिर नही किया बल्की सहमति जाहिर की गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन /प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के 398/2 की 0.4800हैक भूमि जो वर्तमान में भाखडा परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर्ज 4000/– प्रतिबीधा का (वादी अन्य पिछडा वर्ग जाति का होने के कारण) 20 प्रतिशत 800/–रू प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादीगण संख्या 1/1 से 1/5 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/6/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:57:38 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. जागेराम पुत्र फुसाराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
   1/1. पिथाराम पुत्र जागेराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर
   1/2. रायसिह पुत्र जागेराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर
   1/3. शिशुपाल पुत्र जागेराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर
   1/4 मैसर पुत्री जागेराम जाति जाट साकिन बडबिराना हाल परलका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
   1/5 बिमला पुत्री जागेराम जाति जाट सकिन बडबिराना हाल सुरेरा तहसील ऐजनाबाद सिरसा

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88; राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 242 सन 2018 निर्णय दिनांक – 18/6/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल (आरएएस) उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के 398/2 की 0.4800हैक भूमि जो वर्तमान में भाखडा परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर्ज 4000/– प्रतिबीधा का (वादी अन्य पिछडा वर्ग जाति का होने के कारण) 20 प्रतिशत 800/–रू प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादीगण संख्या 1/1 से 1/5 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 18/6/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:57:38 IST
Reason: SelfAttested